कार्यालय उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक / मबावि. / विज्ञप्ति / 2025–26 / 688 दिनांकः– 23/06/2025

—::*विज्ञप्ति संख्या 01 / 2025*::—

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं / ग्राम पंचायतों / नगरपालिका वार्ड के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों / वार्डो में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। संबंधित परियोजना कार्यालयों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका हेतु विभागीय नियुक्ति परिपत्र क्रमांक 4244–63 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 तथा राजकाज क्रमांक 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार वर्णित मानदण्डों एवं नवीन मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार **दिनांक 25.06.2025 से दिनांक 24.07.2025 तक समय सायं 05:00 बजे तक** आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण

क्रं. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम	रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण			कार्यालय ई–मेल आई डी
		शिशुपालना गृह कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सहायिका	
1.	अरनोद	0	01	05	cdpoarnod@gmail.com
2.	दलोट	0	08	10	cdpoarnod@gmail.com
3.	छोटीसादड़ी	0	08	17	cdpooffice01@gmail.com
4.	प्रतापगढ़ द्वितीय देवगढ़ (मु. धमोत्तर)	0	12	18	cdpodevgarh@gmail.com
5.	धरियावद	0	23	42	cdpodhariyawad@gmail.com
6.	पीपलखूंट	0	10	10	cdpopipalkhuntptg@gmail.com
7.	प्रतापगढ़ प्रथम	01	15	18	cdpopratapgarh@gmail.com
8.	सुहागपुरा	0	02	11	cdpopipalkhuntptg@gmail.com
कुल योग		**01**	**79**	**131**	

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में उस वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार निवासी माना जा सकेगा।
2. स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / जनआधार कार्ड / आधार कार्ड / मूल निवास प्रमाण पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र / ग्राम विकास अधिकारी / सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से 02 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जावें।
3. **वैवाहिक स्थिति**– आंगनवाड़ीकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनो पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त हो जाएगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग (शपथ पत्र) आवेदन करते समय ही देना होगा।
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद पर चयन हेतु **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण** होना अनिवार्य है तथा अनको बारहवीं पास या समकक्ष योग्यता के लिए चयन मूल्यांकन में कोई अंक देय नहीं होंगे।
5. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि दिनांक 24.06.2025 तक (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका) आवेदिका की आयु 18–35 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता

तथा विशेष योग्यजन के प्रकरण में आवेदन में प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक होगी। आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।

6. आवेदनकर्ता महिला के घर पर शौचालय होने एवं नियमित उपयोग करने का घोषणा पत्र आवेदन पत्र में वर्णित घोषणा कर आवेदनकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में वर्णित घोषणा में हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
7. विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुर्नविवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक है।
8. तलाकशुदा/परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुर्नविवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक है।
9. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद हेतु मानदेय सेवा पर चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी किए गए नवीन परिपत्र क्रमांक 4244–63 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 तथा राजकाज क्रमांक 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार वर्णित मानदण्डों एवं नवीन मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरियता सूची से चयन प्रक्रिया परिपत्रानुसार तैयार कर संपादित कर चस्पा किया जाएगा।
10. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावें, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष तक किसा जा सकता है। अर्थात् आवेदक महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमी लेयर का प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 03 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किए जाएंगे व इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
11. आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित दस्तावेज यथा (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका/प्रमाण पत्र (2) दसवीं/सैकण्डरी उत्तीर्ण की अंक तालिका/प्रमाण पत्र (3) बी.एड./एन.टी.टी./डीपीएसई डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड (5) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग/दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) बीपीएल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार)/खाद्य सुरक्षा/अंत्योदय/भारत सरकार के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण में पात्र (यदि लागू हो तो) (8) एएनएम/जीएनएम/आयुवेर्दिक नर्सिंग/आरएससीआईटी/पीजीडीसीए के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किया जाएं।
12. जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र जनसंख्या की गणना मुख्यतः आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की सूचना के आधार पर ही होगा।
13. आवेदन फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किए जा सकते है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में दिनांक 24.07.2025 तक को सायं 05:00 बजे तक जमा करा सकेंगे।

14. **इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित उपनिदेशक कार्यालय/बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु परिपत्र 4244—63 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त की जा सकती है।**
15. आवेदन पत्र कार्यालय में संबंधित संस्थापन लिपिक/कार्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के साथ जिसमें आवेदन पत्र सहित संलग्न समस्त दस्तावेजों के आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु में अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद दी जावें। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकॉर्ड का संधारण संबंधित संस्थापन लिपिक/कार्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी द्वारा किया जाकर आवेदन प्राप्ति रजिस्टर का संधारण अनिवार्यतः किया जावेगा।
16. आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ 02 सेट बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करा कर आवेदक आवेदन पत्र की <u>प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें</u>।

(डॉ टी आर आमेटा)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक/मबावि./विज्ञप्ति/2025–26/ 689- 699 दिनांकः– 23/06/2025

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, प्रतापगढ़ (राज.)।
4. श्रीमान आयुक्त, नगर परिषद्, प्रतापगढ़ (राज.)।
5. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि जिले की रिक्त पदों की विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
6. समस्त विकास अधिकारी, जिला– प्रतापगढ़ (राज.)
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला – प्रतापगढ़ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र कार्यालय में संबंधित संस्थापन लिपिक/कार्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के साथ जिसमें आवेदन पत्र सहित संलग्न समस्त दस्तावेजान के आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु अंकित करते हुए प्राप्ति रसीद दी जावें। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकॉर्ड का संधारण संबंधित संस्थापन लिपिक/कार्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी द्वारा किया जाकर आवेदन प्राप्ति रजिस्टर का संधारण अनिवार्यतः किया जाएगा।
8. संबंधित महिला पर्यवेक्षक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने सेक्टर के अधीन संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों जिन पर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु विभागीय नवीन परिपत्र क्रमांक 4244–63 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 तथा राजकाज क्रमांक 10872467 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार वर्णित मानदण्डों एवं नवीन चयन मूल्यांकन प्रपत्र अनुसार आवेदन आमंत्रित किए गए है। विज्ञप्ति संबंधित ग्राम पंचायत/आंगनवाड़ी केन्द्र/संबंधित राजस्व गांव में इसका प्रचार–प्रसार कर विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें। उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महिला पर्यवेक्षक की होगी।
9. समस्त संबंधित सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जिला – प्रतापगढ़ (राज.)
10. नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु जिला परिषद्/उपनिदेशक कार्यालय/संबंधित सीडीपीओ कार्यालय/पंचायत समिति जिला – प्रतापगढ़ (राज.)
11. आदेश पत्रावली/चयन विज्ञप्ति पत्रावली।

— Sd —

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
प्रतापगढ़ (राज.)